रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	04]	नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 23, 2018∕वैशाख 3, 1940
No.	04]	NEW DELHI, MONDAY, APRIL 23, 2018/VAISAKHA 3, 1940

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2018

का.नि.आ. 04(अ).—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) की धारा 41 की उपधारा (2) के खण्ड (ड.) के साथ पठित धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल अधिकरण में समूह 'क' पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है,

अर्थात् :-

2341 GI/2018 (1)

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र बल अधिकरण, (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2018 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

- 5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, **अन्य पिछडें वर्गों**, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन या	सीधे भर्ती किए	सीधे भर्ती किए	सीधे भर्ती किए	परिवीक्षा की	भर्ती की पद्धतिः भर्ती
			स्तर	अचयन पद	जाने वाले	जाने वाले	जाने वाले व्यक्तियों	अवधि, यदि	सीधे होगी या प्रोन्नति
					व्यक्तियों के	व्यक्तियों के लिए	के लिए विहित आयु	कोई हो	द्वारा या प्रतिनियुक्ति
					लिए आयु-सीमा	अपेक्षित शैक्षिक	और शैक्षिक		या आमेलन द्वारा तथा
						और अन्य	अर्हताएं प्रोन्नत		विभिन्न पद्धतियों द्वारा
						अर्हताएं	व्यक्तियों की दशा में		भरी जाने वाली
							लागू होंगी		रिक्तियों की
									प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. प्रधान	01* (2018)	साधारण केन्द्रीय	स्तर 14	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति, जिसके न हो
रजिस्ट्रार	*कार्यभार के	सेवा, समूह 'क'	(₹.144200-						सकने पर प्रतिनियुक्ति
	आधार पर	राजपत्रित,	218200)						द्वारा (जिसके अंतर्गत
	परिवर्तन किया	्र अननुसचिवीय							अल्पकालिक संविदा
	जा सकता है ।	9							भी हैं ।)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है,	भर्ती करने में किन परिस्थतियों
किया जाएगा	तो उसकी संरचना	में संघ लोक सेवा आयोग से
		परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता ।
सशस्त्र बल अधिकरण की किसी भी पीठ में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 में ऐसे रजिस्ट्रार जिन्होंने उस श्रेणी में	। त्रिक्षाताल के संबंध में विवार करण के	
तीन वर्ष नियमित सेवा की है और मंत्रालय द्वारा विहित संस्थान से प्रशासनिक या न्यायिक या वित्तीय मामलों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक अर्हित किया हो ।	लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	
टिप्पणीः जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के	(1) अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण	
लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब	–अध्यक्ष	
कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से,	(2) न्यायिक/प्रशासनिक–सदस्य,	

इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या कानूनी / स्वायत्त निकायों में पेंशन फायदा लेने वाले ऐसे अधिकारीः

- (क) (i) जो **मूल काडर या विभाग में** नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
 - (ii) जिन्होंने **मूल काडर या विभाग में** वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 में उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है;
- (ख) जिसके पास कार्मिक और प्रशासनिक या न्यायिक कार्य में पंद्रह वर्ष का अनुभव है ; और
- (ग) जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री है।

टिप्पणी 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार, सशस्त्र बल अधिकरण में प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति प्रणाली द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3)	रक्षा	मंत्रालय	में	सशस्त्र	बल
	अधि	करण का १	नार	साधक	अपर

सचिव – **सदस्य**

सशस्त्र बल अधिकरण -सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.	10* (2018)	साधारण	स्तर 13	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं होता	20 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न
रजिस्ट्रार	*कार्यभार के	केन्द्रीय सेवा,	(₹.118500-		होता	होता	होता		हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
	आधार पर	समूह 'क'	214100 रु.)						(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा
	परिवर्तन किया	्र राजपत्रित,							भी है), और 80 प्रतिशत
	जा सकता है ।	अननुसचिवीय							प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत
		31.13/11.4.41.4							अल्पकालिक संविदा भी है)

(11)	(12)	(13)
प्रोक्षतिः सशस्त्र बल अधिकरण की किसी भी पीठ में वेतन मैट्टिक्स में स्तर-12 में ऐसे संयुक्त रजिस्ट्रार जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और मंत्रालय द्वारा विहित संस्थान से प्रशासनिक या त्यायिक या वित्तीय मामलों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक अर्हित किया हो । टिप्पणीः जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोव्रति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम त्यायालय या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या कानूनी / स्वायत्त निकायों में पेंशन फायदा लेने वाले या सेना, नौसेना और वायु सेना तथा अन्य इसी प्रकार के संस्थाओं के जय ऐडवोकेट जनरल शाखा के ऐसे अधिकारीः (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ; और (ख) जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में हिग्री है । टिप्पणी 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उधिकरण में प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पर पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण - अध्यक्ष	(13) लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3. संयुक्त	03* (2018)	साधारण	स्तर 12	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं	प्रोन्नति, जिसके न
रजिस्ट्रार	*कार्यभार के	केन्द्रीय सेवा,	(रु.78800-		होता			होता	हो सकने पर
	आधार पर	समूह 'क'	209200 रु.)						प्रतिनियुक्ति द्वारा
	परिवर्तन किया	्राजपत्रित,							(जिसके अंतर्गत
	जा सकता है ।	अननुसचिवीय							अल्पकालिक
									संविदा भी है)

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति	लागू नहीं होता ।
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 में ऐसे उप रजिस्ट्रार या उप निदेशक (प्रलेखीकरण) जिनके पास विधि में डिग्री है	समिति (प्रोन्नति के संबंध में	
जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और मंत्रालय द्वारा विहित संस्थान से प्रशासनिक या	विचार करने के लिए) जिसमें	
न्यायिक या वित्तीय मामलों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।	निम्नलिखित होंगे :-	
टिप्पणीः प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची, अधिकारी द्वारा संबंधित श्रेणी या परस्पर ज्येष्ठता पद के अनुरक्षण	। 1. अध्यक्ष, सशस्त्र बल	
के अध्यधीन पद में विहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी।	,	
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :	अधिकरण – अध्यक्ष	
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या कानूनी /	2. न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य,	
स्वायत्त निकायों में पेंशन फायदा लेने वालेऐसे अधिकारी जिनके पास विधि में डिग्री है:-	सशस्त्र बल अधिकरण	
(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या	–सदस्य	
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ; और	3. रक्षा मंत्रालय में सशस्त्र बल	
(ख) जिसके पास कार्मिक और प्रशासनिक या न्यायिक कार्य में दस वर्ष का अनुभव है ।	अधिकरण का भार साधक	
टिप्पणी 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (जिसके	संयुक्त सचिव -सदस्य	
अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार,		

सशस्त्र बल अधिकरण में प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्न	ते प्रणाली द्वारा नियुक्ति के '	लिए विचार किए जाने के पात्र
नहीं होंगे ।		

टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4. ज्येष्ठ	01* (2018)	साधारण	स्तर 12	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति, जिस	के न हो
प्रधान निजी	*कार्यभार के	केन्द्रीय सेवा,	(হ. 78800-						सकने	पर
सचिव	आधार पर	समूह 'क'	209200 रु.)						प्रतिनियुक्ति	द्वारा
	परिवर्तन किया	्राजपत्रित,							(जिसके	अंतर्गत
	जा सकता है ।	अनुसचिवीय							अल्पकालिक	संविदा
		-13/11/11/1							भी है)	
			(11)				(12)		(13)	
प्रोन्नतिः						समूह 'क	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति लागू नहीं होता।			
सशस्त्र बल अ	धिकरण में वेतन मै	ट्रिक्स में स्तर-11	में ऐसे प्रधान निर्ज	ो सचिव जिन्ह	होंने उस श्रेणी में प	गांच	गोन्नति के संबंध में			
वर्ष नियमित	सेवा की है और मंत्र	ालय द्वारा विहित	। संस्थान से प्रशासर्	नेक या सचिव	ालयिक मामलों में	· -> · · · ·	रने के लिए) जिसमें			
सप्ताह का प्रशि	ाक्षण सफलतापूर्वक	पूरा किया हो ।				निम्नलिखि	निम्नलिखित होंगे :-			
टिप्पणीः जहां	ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियं	ा ों के संबंध में जिन्	होंने अपनी अर्हक /	पात्रता सेवा प	ारी कर ली है. प्रोइ	1. अध्यक्ष प्रति	,			
_	•		् व्यक्तियों के संबंध मे	,	.,	ा श्री र	रण –अध्यक्ष			
1		~	सेवा, अपेक्षित अर्ह		, ,	`	क/प्रशासनिक सदस्य,			
			, और उन्होंने अपने				बल अधिकरण– सदस्य			
	•		अगली उच्चतर श्रेणी	•	_	_				

की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या कानूनी / स्वायत्त निकायों में पेंशन फायदा लेने वाले ऐसे आशुलिपिक :-

- (क) (i) जो **मूल काडर या विभाग में** नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
 - (ii) जिन्होंने **मूल काडर या विभाग में** वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 में पांच वर्ष नियमित सेवा की है

वांछनीय: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिगी।

टिप्पणी 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार, सशस्त्र बल अधिकरण में प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति प्रणाली द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

 रक्षा मंत्रालय में सशस्त्र बल अधिकरण का भार साधकनिदेशक / उप सचिव -सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5. उप	16* (2018)	साधारण	स्तर 11	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए	प्रोन्नति, जिसके न हो
रजिस्ट्रार	*कार्यभार के	केन्द्रीय सेवा,	(रु. 67700-					जाने वाले	सकने पर
	आधार पर	समूह 'क'	208700 रु.)					व्यक्तियों के	प्रतिनियुक्ति द्वारा
	परिवर्तन किया	्र राजपत्रित,						लिए दो वर्ष	(जिसके अंतर्गत
	जा सकता है ।	्र अननुसचिवीय							अल्पकालिक संविदा
									भी है)

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः सशस्त्र बल अधिकरण में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 में ऐसे अनुभाग अधिकारी या अधिकरण अधिकारी जिन्होंने संबंधित श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है और मंत्रालय द्वारा विहित संस्थान से प्रशासनिक या न्यायिक या वित्तीय मामलों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । टिप्पणीः जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तव जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ट व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । प्रितिगुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या कानूनी / स्वायत्त निकायों में पेशन फायदा लेने वाले ऐसे अधिकारीः (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 में छह वर्ष नियमित सेवा की है ; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 में सात वर्ष नियमित सेवा की है ; और (ख) जिसके पास कार्मिक और प्रशासनिक या न्यायिक कार्य में पांच वर्ष का अनुभव है । वाछनीय : जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री है । टिप्पणी 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित कीए जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार, सशस्त्र बल अधिकरण में प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नित प्रणाली द्वारा किए जाने के लिए विचार किए जाने के पात्र	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण — अध्यक्ष 2. न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य, सशस्त्र बल अधिकरण — सदस्य 3. रक्षा मंत्रालय में सशस्त्र बल अधिकरण का भार साधकनिदेशक / उप सचिव — सदस्य	लागू नहीं होता ।

नहीं होंगे ।

टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6. उप निदेशक	01* (2018)	साधारण	स्तर 11	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए	प्रोन्नति, जिसके न हो
(प्रलेखीकरण)	*कार्यभार के	केन्द्रीय सेवा,	(হ. 67700-		होता			जाने वाले	सकने पर
	आधार पर	समूह 'क'	208700 रु.)					व्यक्तियों के	प्रतिनियुक्ति द्वारा
	परिवर्तन किया	्र राजपत्रित,						लिए दो वर्ष	(जिसके अंतर्गत
	जा सकता है ।	अननुसचिवीय							अल्पकालिक संविदा
									भी है)

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता ।
सशस्त्र बल अधिकरण में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 में ऐसे अनुभाग अधिकारी या अधिकरण अधिकारी जिन्होंने संबंधित श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है और पुस्तकालय और पुस्तकालय विज्ञान में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक	(प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के	
पूरा किया हो ।	लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	
टिप्पणीः जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए	1. अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण	
विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके	–अध्यक्ष	
द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर	2. न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य,	
ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।	सशस्त्र बल अधिकरण –सदस्य	
	3. रक्षा मंत्रालय में सशस्त्र बल	
	अधिकरण का भार साधक	

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या कानूनी / स्वायत्त निकायों में पेंशन फायदा लेने वाले ऐसे अधिकारीः

- (क) (i) जो **मूल काडर या विभाग में** नियमित आधार पर सदश पद धारण किए हुए हैं; या
 - (ii) जिन्होंने **मूल काडर या विभाग में** वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ; या
 - (iii) जिन्होंने **मूल काडर या विभाग में** वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 में छह वर्ष नियमित सेवा की है ; या
- (iv) जिन्होंने **मूल काडर या विभाग में** वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 में सात वर्ष नियमित सेवा की है ; और
- (ख) (i)जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं हैं, अर्थात :

आवश्यकः किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य।

वांछनीय : विधि में डिग्री ; और

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर इकाई या विश्वविद्यालय या मान्यताप्रात अनुसंधान संस्थान या शैक्षिक संस्था के अधीन पुस्तकालय में पांच वर्ष का वृत्तिक अनुभव है।

टिप्पणी 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार, सशस्त्र बल अधिकरण में प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति प्रणाली द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

निदेशक। उप सचिव -सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7. प्रधान	34* (2018)	साधारण	स्तर 11	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं	प्रोन्नत किए	25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो
निजी	*कार्यभार के	केन्द्रीय सेवा,	(হ. 67100-		होता		होता	जाने वाले	सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके
सचिव	आधार पर	समूह 'क'	208700 रु.)					व्यक्तियों के	अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और
	परिवर्तन किया							लिए दो वर्ष	75 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके
	जा सकता है ।	अनुसचिवीय							अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ।) या
		9							आमेलन

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नतिके	लागू नहीं होता ।
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 में ऐसे निजी सचिव जिन्होंने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है और मंत्रालय द्वारा	संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें	
विहित संस्थान से प्रशासनिक या सचिवालयिक मामलों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो ।	निम्नलिखित होंगे :-	
टिप्पणीः 1.जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए	`	
विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके	1. अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण –अध्यक्ष	
द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी		
कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर	सशस्त्र बल अधिकरण द्वारा नाम निर्देशित	
ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।	किया गया है –सदस्य	
टिप्पणीः 2.	3. रक्षा मंत्रालय में सशस्त्र बल अधिकरण का	
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) / आमेलन :-	भार साधकनिदेशक / उप सचिव –सदस्य	
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या कानूनी /		
 स्वायत्त निकायों में पेंशन फायदा लेने वाले ऐसे आश्लिपिक :-	समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के	
(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या	लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	
	1. अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण -अध्यक्ष	
(ख) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 में छह वर्ष नियमित सेवा की है ; या	·	
(ग) जिन्होने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 में सात वर्ष नियमित सेवा की है ।	2. न्यायिक / प्रशासनिक सदस्य, जिसे	
वांछनीय : कम्प्यूटर प्रचालन में जानकारी ।	अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण द्वार	
	नामनिर्देशत किया गया है -सदस्य	

िटप्पणी 3 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार, सशस्त्र बल अधिकरण में प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति प्रणाली द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी 4 : प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

[फा.सं. 4(1)/2010-डी (ए.एफ.टी.सी)] एम. सुब्बारायन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 23rd April, 2018

- **S.R.O. 04(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 read with clause (e) of sub-section (2) of section 41 of the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to Group 'A' posts in the Armed Forces Tribunal, Ministry of Defence, namely:-
- 1. Short title and commencement.-- (1) These rules may be called the Armed Forces Tribunal (Group-A posts) Recruitment Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Number of posts, classification, level in pay matrix.-** The number of the said posts, their classification, and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Methods of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- **4. Disqualification. -** No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 4. **Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age-limits and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non- selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Principal Registrar	01* (2018) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group A, Gazetted, Non-Ministerial	Level 14 (Rs. 144200- 218200)	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion, failing which by deputation (Including Short Term Contract)

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a departmental	Circumstances in
	promotion committee	which Union
	exists, what is its	Public Service
	composition	Commission is to
		be consulted in
		making
		recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion:	Group `A' Departmental	Not applicable.
Registrar in level 13 of the pay matrix in any Bench of the Armed Forces Tribunal with three years regular service in the grade, and having	Promotion Committee (for	
successfully qualified two weeks training in Administrative or Judicial or Financial matters from the institute to be prescribed by the Ministry.	considering promotion	
	consisting of: -	
Note Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be	(1) Chairperson, Armed	
considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or	Forces Tribunal -	
two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors	Chairman;	
who have already completed such qualifying or eligibility service.	(2)	

Deputation (Including Short Term Contract):

Officers in Central Government or State Government or Supreme Court or High Court or District Court or Statutory / Autonomous bodies having pensionary benefits:

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or Department; or
- (ii) posts in the level 13 of the pay matrix with three years regular service in the grade in the parent cadre or Department;
- (b) having fifteen years of experience in personnel and administrative or judicial work; and

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(b) holding degree in law from a recognized university.

(ii) five years regular service in the parent cadre or Department in the Level 12 of the pay matrix; and

(c) holding a degree in law from a recognized university.

similar institutions:

Note 1: The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, a deputationist in the Armed Forces Tribunal shall not be eligible for consideration for appointment by promotion channel.

Note 2: The period of deputation including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.

Judicial/Administrative Member Armed Forces Tribunal- Member; (3) Additional Secretary in charge of Armed Forces Tribunal in the Ministry of Defence - Member.

Defence- Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. Registrar	10 * (2018) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group `A', Gazetted, Non- Ministerial.	Level 13 (Rs.118500- 214100)	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	20% by promotion, failing which by deputation (Including Short Term Contract), and 80% by deputation (Including Short Term Contract).
			(11)			•	(12)		(13)
	successfully co	ompleted two w			unal with five years re Judicial or Financia	_	Group `A' Departme Committee (for promotion/deputation (Term Contract) consist	considering (Including Short	Not applicable.
Note: Where juni seniors would also of such qualifying promotion to the n	be considered por eligibility se	provided they are rvice or two yea	(1) Chairperson, Tribunal – Chairman; (2) Judicial/Administ Armed Forces Tribuna	rative Member					
Deputation (Inclu	0	,							
Officers of Centra Autonomous bodie			(3) Joint Secretary in-C Forces Tribunal in t						

Note 1: The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (Including Short Term Contract). Similarly, a deputationist in the Armed Forces Tribunal shall not be eligible for consideration for appointment by promotion channel.

Note 2 : The period of deputation including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.

deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3. Joint	03* (2018)	General	Level 12	Selection	Not	Not	Not applicable	Not applicable	Promotion , failing which by
Registrar	*Subject to	Central	(Rs. 78800-		applicable	applicable			deputation (Including Short
	variation	Service,	209200)						Term Contract).
	dependent on	Group 'A',	,						,
	workload.	Gazetted,							
		Non-							
		Ministerial.							
	- 11	1	(11)	1	1	1		(12)	(13)
Promotion: -							Group `A']	Departmental Promotion	Not applicable.
Deputy Regist	rar or Deputy Dir	ector(Documenta	ations) in the level	11 of the pay mat	trix possessing	degree in Law	Committee (for	considering promotion)	
			and having succe				consisting of:		
Administrative	or Judicial or Fir	nancial matters fr	om the institute to	be prescribed by the	he Ministry.				
							(1) Chairperson,	Armed Forces Tribunal -	
			repared with refer				Chairman;		
prescribed qua	llifying service in	respective grade	or post subject to i	naintaining the re	spective grade of	or post inter-se	\ /	nistrative Member Armed	
seniority.							Forces Tribunal – l		
								in charge of Armed Forces	
	ncluding Short T							Ministry of Defence-	
			overnment or Supr			trict Courts or	Member.		
			nary benefits posse						
			sis in the parent ca						
			nt cadre or Departr			y matrix; and			
(b) havin	ig ten years of exp	erience in person	nel and Administra	ative or Judicial w	orks				
Note 1 . The	damanturantal - Co	Same in the ford	an anada mika sast	mak ha aliaild					
			er grade who are in						
			Similarly, a depu	auomst in the Ari	bunai shan hot				
_	consideration for	11 / 1		(Including Chart	Form Contract)	in another av			
codre poet hale	periou oi ueputat Limmediately pro	coding this appoi	riod of deputation ntment in the same	or some other O	Department of				
			xceed four years.						
inc Central O	overmient shan	not oftilially 6	Acced four years.	THE MAXIMUM a	ige mint for ap	ppominient by			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)
4. Senior	01* (2018)	General Central	Level 12 (Rs. 78800-	Selection	Not	Not	Not app	licable	Not applicable	Promotion, failing which
Principal Private	*Subject to variation dependent	Service, Group 'A', (Gazetted)	209200)		applicable	applicable				by deputation (Including Short Term Contract).
Secretary	on workload.	(Ministerial)	,							
			(11)						(12)	(13)
and having the Ministry Note: When would also qualifying of the next hig Deputation Stenograph Autonomou (i) hol (ii) with Desirable: I Note 1: The for appoint eligible for Note 2: The immediately ordinarily in the Ministry of the Mini	rivate Secretary in leve successfully completed	ompleted their qualify they are not short two years, whicheve eir juniors who have the Contract): - ernment or State Government in the parent care ecognized University in the feeder grade eluding Short Term Cotion. including the period attent in the same of the contract of of the contrac	rying or eligibility see of the requisite quaris less, and have sure already completed surernment or Supreme parent cadre or department in process. Who are in the direct contract). Similarly, a of deputation (Includor some other organic	Secretarial matter rvice are being of lifying or eligibil ccessfully completed qualifying or Court or High Coment; or line of promotion deputationist in to ling Short Term of sation or Departi	considered for lity service by eted probation peligibility service fourt or District the pay matrix, shall not be elhe Armed Force Contract) in anoment of the Ce	promotion, their more than half period for promote. t Courts or Sta digible for consider Tribunal shapether ex-cadre promoters.	deration all not be boost held ent shall	Promotion considering consisting o (1) Chairp Tribunal C (2) Ju Member Ar - Member; (3) Directo charge of A	f: erson, Armed Forces	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5. Deputy	16* (2018)	General Central	Level 11	Selection	Not	Not applicable	Not applicable	Two years for	Promotion, failing which
Registrar	*Subject to	Service, Group	(Rs. 67700-		applicable			promotees.	by deputation (Including
	variation	`A', Gazetted,	208700)						Short Term Contract).
	dependent on	Non-							
	workload.	Ministerial.							
			(11)	(12)		(13)			
Promotion: -			Group `A' Departme	ental Promotion	Not applicable.				
Section Office	ers or Tribunal O	fficers in the Arme	ce Committee (for	considering					

in the respective grade and having successfully completed two weeks training in Administrative or Judicial or Financial matters from the institute to be prescribed by the Ministry.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (Including Short Term Contract): -

Officers of the Central Government or State Government or Supreme Court or High Court or District Courts or **Statutory / Autonomous bodies having pensionary benefits**:

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or
- (ii) with **five** years regular service in the parent cadre or Department in post in level 10 of the pay Matrix; or
- (iii) with six years regular service in the parent cadre or Department in post in level 8 of the pay matrix; or
- (iv) with Seven years regular service in the parent cadre or Department in post in level 7 of the pay matrix; and
 - (b) having five years of experience in personnel and Administrative or Judicial work.

Desirable: Possessing a degree in law from a recognised University.

- **Note 1:** The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, a deputationist in the Armed Forces Tribunal shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- **Note 2 :** The period of deputation including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.

- promotion) consisting of:
- (1) Chairperson, Armed Forces Tribunal **Chairman**;
- (2) Judicial/Administrative Member Armed Forces Tribunal **Member**;
- (3) Director/Deputy Secretary in charge of Armed Forces Tribunal in the Ministry of

Defence- Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6. Deputy	01* (2018)	General	Level 11	Selection	Not	Not applicable	Not applicable	Two years for	Promotion, failing
Director	*Subject to	Central	(Rs. 67700-		applicable			promotees	which by deputation
(Documentation)	variation	Service,	208700)						(Including Short
	dependent on	Group 'A',							Term Contract)
	workload	Gazetted,							
		Non-							
		Ministerial							
			(11)				(12)		(13)
Promotion:							Group `A' Departme	ental Promotion	Not applicable.
Section Officers or	Tribunal Officers	in the Armed For	rces Tribunal in level	7 of the Pay Ma	trix with seven ye	ears regular service in	Committee (for consid	ering promotion)	
the respective grade and having successfully completed Two weeks training in library and library science.									
(1) Chairperson, Armed Forces									
Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior Tribunal - Chairman;									
would also be cons	idered provided the	hey are not short	of the requisite qua	lifying or eligibi	lity service by m	ore than half of such	(2) Judicial/Admini	strative Member	

qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (Including Short Term Contract): -

Officers under Central Government or State Government or Supreme Court or High Court or District Courts or **Statutory** Autonomous bodies having pensionary benefits:

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department: or
- (ii) with **five** years regular service in the parent cadre or Department in posts in level 10 of the pay matrix; or
- (iii) with Six years regular service in the parent cadre or Department in posts in level 8 of the pay matrix; or
- (iv) with Seven years regular service in the parent cadre or Department in posts in level 7 of the pay matrix: and
 - (b) (i) possessing the following educational, qualifications, namely:

Essential: Degree of a recognised University or equivalent.

Desirable: Degree in Law: and

(ii) Having five years' professional experience in a library under Central Government or State Government or Autonomous or Statutory or educational institution.

Note 1: The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, a deputationist in the Armed Forces Tribunal shall not be eligible for consideration for appointment by promotion channel.

Note 2: The period of deputation including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 yrs as on the closing date of receipt of application.

Armed Forces Tribunal - Member; (3) Director/Dy. Secretary in charge of Armed Forces Tribunal in the Ministry of Defence- Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)		(10)
7. Principal Private Secretary	34* (2018) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted Ministerial	Level 11 (Rs. 67100- 208700)	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applica	able	Two years for pro	omotees	25% by promotion failing which by deputation (Including Short Term Contract) and 75% by deputation (Including Short Term Contract) or absorption.
						(12)		(13)			
Promotion:-		·	·	Group 'A'	Departmental	Promotion	Not applicable.				
Private Secre	tary in level 7	of the pay mat	rix with seven ye	ars regular ser	vice in the grad	de and having s	uccessfully	Committee (for considering	promotion)	

completed two weeks training in administrative or secretarial matters from the institute to be prescribed by the Ministry.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2:

Deputation (Including Short Term Contract)/absorption:- Stenographers in Central Government or State Government or Supreme Court or High Court or District Courts or **Statutory / Autonomous bodies having pensionary benefits:**

- (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre of department; or
- (b) with six years regular service in the parent cadre or Department in posts in level 8 of the pay matrix; or
- (c) with seven years in regular service in the parent cadre or Department in posts in level 7 of the pay matrix.

Desirable: Knowledge in computer operation.

- **Note 3 :** The Departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, a deputationist in the Armed Forces Tribunal shall not be eligible for consideration for promotion.
- **Note 4 :** The period of deputation including the period of deputation (Including Short Term Contract) in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.

consisting of: -

- (1) Chairperson, Armed Forces Tribunal Chairman;
- (2) Judicial/Administrative Member, to be nominated by the Chairperson, Armed Forces Tribunal **Member**;
- (3) Director/Deputy Secretary in charge of Armed Forces Tribunal in the Ministry of Defence-**Member**.

Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for confirmation) consisting of:

(1) Chairperson, Armed Forces Tribunal -

Chairman;

(2) Judicial/Administrative Member, to be nominated by the Chairperson, Armed Forces Tribunal

Member:

(3) Director/Deputy Secretary in charge of Armed Forces Tribunal in the Ministry of Defence-**Member**.

[F. No. 4(1)/2010-D(AFTC)] M SUBBARAYAN, Jt. Secy.

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2018

का.नि.आ.05(अ).—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007(2007 का 55) की धारा 41 की उपधारा (2) के खण्ड (ड.) के साथ पठित धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल अधिकरण में समूह 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र बल अधिकरण, (समूह 'ख' राजपत्रित और अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2018 है।

- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर. उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता –वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

- 5. **शिथिल करने की शक्ति** -जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. **व्यावृत्ति** –इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, **अन्य पिछडें वर्गों,** भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद	का	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन या	सीधे भर्ती किए	सीधे भर्ती किए	सीधे भर्ती किए	परिवीक्षा की	भर्ती की पद्धतिः भर्ती
नाम				स्तर	अचयन पद	जाने वाले	जाने वाले	जाने वाले	अवधि, यदि	सीधे होगी या
						व्यक्तियों के	व्यक्तियों के लिए	व्यक्तियों के लिए	कोई हो	प्रोन्नति द्वारा या
						लिए आयु-	अपेक्षित शैक्षिक	विहित आयु और		प्रतिनियुक्ति या
						सीमा	और अन्य	शैक्षिक अहर्ताएं		आमेलन द्वारा तथा
							अहर्ताएं	प्रोन्नत व्यक्तियों की		विभिन्न पद्धतियों
								दशा में लागू होंगी		द्वारा भरी जाने वाली
										रिक्तियों की

									प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.सहायक	01* (2018)	साधारण	स्तर- 9	लागू नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा
रजिस्ट्रार	* कार्यभार के	केन्द्रीय सेवा,	(₹.53100-	होता					(जिसके अंतर्गत
(नयाचार)	आधार पर	समूह 'ख'	167800 रु.)						अल्पकालिक संविदा
	परिवर्तन किया	 राजपत्रित,							भी है)।
	जा सकता है ।	अननुसचिवीय							

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है,	भर्ती करने में किन परिस्थतियों में संघ
आमेलन किया जाएगा ।	तो उसकी संरचना	लोक सेवा आयोग से परामर्श किया
		जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय या		
कानूनी / स्वायत्त निकायों के अधीन कार्यरत् पेंशन फायदा लेने वाले ऐसे अधिकारीः		
(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या		
(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8, (47600-151100 रु.) में उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित		
सेवा की है ; या		
(iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 7, (44900-142400 रु.) में उस श्रेणी में तीन वर्ष		
नियमित सेवा की है ; और		
(ख) आवश्यकः जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं ; अर्थात		
(i) किसी मान्यताप्राप्त की डिग्री या समतुल्य ; और		
(ii) नयाचार संबंधी कार्य में दो वर्ष का अनुभव ।		

वांछनीय :विधि में डिग्री और	नयाचार कार्य में अनभव हो ।
1100, 111 11 11 11 11 11 11 11	

टिप्पणी :प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.अधिकरण	48* (2018)	साधारण	स्तर- 7	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	तीस प्रतिशत प्रोन्नति
अधिकारी /	* कार्यभार के	केन्द्रीय सेवा,	(₹.44900-						द्वारा जिसके न हो
अनुभाग	आधार पर	समूह 'ख'	142400)						सकने पर
अधिकारी	परिवर्तन किया	राजपत्रित,							प्रतिनियुक्ति द्वारा
	जा सकता है ।	अननुसचिवीय							(जिसके अंतर्गत
									अल्पकालिक संविदा
									भी है ।)
									सत्तर प्रतिशत
									प्रतिनियुक्ति जिसके
									अंतर्गत अल्पकालिक
									संविदा भी
									है ।) /आमेलन
									द्वारा ।

(11)	(12)	(13)
(i) प्रोन्नतिः	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति	लागू नहीं होता ।
सशस्त्र बल अधिकरण की किसी भी पीठ में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6(35400-112400 रु.) या समतुल्य में		
ऐसे सहायक जिन्होंने पांच वर्ष नियमित सेवा की है और मंत्रालय द्वारा विहित संस्थान से प्रशासनिक या	विचार करने के लिए) जिसमें	

न्यायिक या वित्तीय मामलों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो ।

टिप्पणीः जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(ii) प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) / आमेलन :-

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय या कानूनी / स्वायत्त निकायों के अधीन कार्यरत पेंशन फायदा लेने वाले ऐसे व्यक्ति :

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग मेंनियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5, (29200-92300 रु.) में उस श्रेणी में पांच वर्ष िनयमित सेवा की है ; और
- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अन्भव रखते हैं :-
- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री ; और
- (ii) कार्मिक प्रशासनिक या न्यायिक कार्य में दो वर्ष का अनुभव है ।

वांछनीय :विधि में डिग्री।

टिप्पणी 1 :पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी 2 :प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी

निम्नलिखित होंगे :-

- (1) न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य, सशस्त्र बल अधिकरण **–अध्यक्ष**
- (2) प्रधान रजिस्ट्रार (प्रधान पीठ) सशस्त्र बल अधिकरण या रजिस्ट्रार-**सदस्य**
- (3) रक्षा मंत्रालय में सशस्त्र बल अधिकरण का भार साधक अवर सचिव - **सदस्य**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.सहायक	31* (2018)	साधारण केन्द्रीय	स्तर- 6	चयन	30 वर्ष से अनधिक	किसी मान्यता	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती	(1) अस्सी प्रतिशत
		सेवा, समूह	(रु.35400-		(केन्द्रीय सरकार द्वारा	प्राप्त		और प्रोन्नत	प्रोन्नति द्वारा जिसके
	* कार्यभार के	'ख'अराजपत्रित,	112400 रु.)		जारी किए गए अनुदेशों	विश्वविद्यालय		किए जाने वाले	न हो सकने पर
					या आदेशों के अनुसार	से बैचलर डिग्री		व्यक्तियों के	प्रतिनियुक्ति (जिसके
	परिवर्तन				सरकारी सेवकों के लिए	1		लिए दो वर्ष ।	अंतर्गत अल्पकालिक
	किया जा				5 वर्ष तक शिथिल की				संविदा भी है) /
	सकता है ।				जा सकती है ।)				आमेलन द्वारा ।
					टिप्पणीः आयु सीमा के				(2) बीस प्रतिशत
					लिए निर्णायक तारीख				सीधी भर्ती द्वारा ।
					कर्मचारी चयन आयोग				
					द्वारा यथा विज्ञापित की				
					जाएगी ।				

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता ।
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4(25500-81100 रु.) में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक में से जिन्होंने उस श्रेणी	 (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)	
मेंदस वर्ष से अन्यूननियमित सेवा की है और मंत्रालय द्वारा विहित संस्थान से प्रशासनिक या	जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	
न्यायिक या वित्तीय मामलों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो ।		
टिप्पणीः जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है,	(i) न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य, सशस्त्र	
प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया	बल अधिकरण – अध्यक्ष	
जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता		
सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे		
किनष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर		
श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।		

(ii) प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :-

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालयों या कानूनी / स्वायत्त निकायों के अधीन पेंशन फायदा लेने वाले ऐसे अधिकारी:

- (क) (i) जोमूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायलयों मेंवेतन मैट्रिक्स में स्तर-4, (25500-81100 रु.)में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में **दस** वर्ष से अन्यून नियमित सेवा की है;
- (i) जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री है ; और
- (ii) स्थापन, प्रशासन या लेखा कार्य में दो वर्ष का अनुभव है।

टिप्पणी: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- (ii) प्रधान रजिस्ट्रार (प्रधान पीठ) सशस्त्र बल अधिकरण या रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण है -सदस्य
- (iii) रक्षा मंत्रालय में सशस्त्र बल अधिकरण का भार साधक अवर सचिव

समूह (ख) विभागीय पृष्टि समिति (पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

- (i) न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य सशस्त्र बल अधिकरण -**अध्यक्ष**
- (ii) प्रधान रजिस्ट्रार (प्रधान पीठ) सशस्त्र बल अधिकरण या रजिस्ट्रार सशस्त्र बल अधिकरण —**सदस्य**
- (iii) रक्षा मंत्रालय में सशस्त्र बल अधिकरण का भार साधक अवर सचिव

–सदस्य

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	1.निजी	12* (2018)	साधारण	स्तर- 7	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके
₹	प्रचिव	*कार्यभार के	केन्द्रीय सेवा,	(44900-						न हो सकने पर
		आधार पर	समूह 'ख'	142400 रु.)						प्रतिनियुक्ति (जिसके
		परिवर्तन	राजपत्रित,							अंतर्गत अल्पकालिक

किया जा अनुसचिवीय		संविदा भी है ।) / आमेलन द्वारा ।
सकता है । (11)	(12)	(13)
` '	, ,	, ,
प्रोन्नितः	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति	लागू नहीं होता ।
सशस्त्र बल अधिकरण में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6(35400-112400 रु) में ऐसे आशुलिपिक/अधिकरण	। तामारा (त्रातारा ४) त्राव म	
मास्टर जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्षनियमित सेवा की है और मंत्रालय द्वारा विहित संस्थान से	विचार करने के लिए) जिसमें	
प्रशासनिक / सचिवालयिक मामलों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । टिप्पणीः जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति	निम्नलिखित होंगे :-	
के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह		
तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से	सशस्त्र बल अधिकरण – अध्यक्ष	
या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने	। (॥) अवाग राजस्ट्रार (अवाग पाठ)	
ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा	। सशस्त्र बल अधिकरण या	
की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।		
(ii) प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) / आमेलन :-	रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण	
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालयों या	जिसे अध्यक्ष सशस्त्र बल अधिकरण द्वारा नामनिर्देशित	
कानूनी / स्वायत्त निकायों पेंशन फायदा लेने वाले ऐसे आशुलिपिक :	किया गया है - सदस्य	
(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या	(iii) रक्षा मंत्रालय में सशस्त्र	
(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6, (35400-112400 रु.) के पद पर में उस श्रेणी में पांच वर्ष	बल अधिकरण का भार साधक	
नियमित सेवा की है ।	अवर सचिव - सदस्य	
टिप्पणी 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर		
नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।		
टिप्पणी 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय		
सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर		
बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा		
नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं		

होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5. अधिकरण	31* (2018)	साधारण केन्द्रीय	स्तर- 6	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए	प्रोन्नति, जिसके न हो
मास्टर		सेवा, समूह 'ख'	(₹.35400-					जाने वाले	सकने पर
(आशुलिपिक	* कार्यभार के	अराजपत्रित,	112400 रु.)					व्यक्तियों के	प्रतिनियुक्ति (जिसके
श्रेणी-I)	आधार पर	, अनुसचिवीय						लिए दो वर्ष ।	अंतर्गत अल्पकालिक
	परिवर्तन	9							संविदा भी है ।) /
	किया जा								आमेलन द्वारा ।
	सकता है ।								

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति	लागू नहीं होता ।
सशस्त्र बल वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4,(25500-81100 रु.) में ऐसे आशुलिपिक (श्रेणी- II)जिन्होंने उस श्रेणी	समिति (प्रोन्नति के संबंध में	
मेंदस वर्ष से अन्यून नियमित सेवा की है और मंत्रालय द्वारा विहित संस्थान से प्रशासनिक / सचिवालयिक	विचार करने के लिए) जिसमें	
मामलों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो ।	निम्नलिखित होंगे :-	
टिप्पणीः जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह	(i) न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य,	
तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से	सशस्त्र बल अधिकरण -अध्यक्ष	
या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने	(ii) प्रधान रजिस्ट्रार (प्रथम पीठ)	
ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा	सशस्त्र बल अधिकरण या	
की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।	 रजिस्टार, सशस्त्र बल अधिकरण	
(ii) प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)		
केन्द्रीय सरकार या सशस्त्र बलों या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या जिला	अधिकरण द्वारा नामनिर्देशित	
न्यायालयों या कानूनी / स्वायत्त निकायों में पेंशन फायदा लेने वाले ऐसे आशुलिपिक:	किया गया है –सदस्य	

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या		
(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4, (25500-81100 रु.) के पद पर में उस श्रेणी में दस वर्ष	(iii) रक्षा मंत्रालय में सशस्त्र	
नियमित सेवा की है ।	बल अधिकरण का भार साधक	
टिप्पणी 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति	अवर सचिव -सदस्य	
(जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा पर है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।		
टिप्पणी 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय		
सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर		
बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा		
नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं		

[फा.सं. 4(1)/2010-डी (ए.एफ.टी.सी)] एम. सुब्बारायन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 23rd April, 2018

S.R.O. 05(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 read with clause (e) of sub-section (2) of section 41 of the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to Group 'B' posts in the Armed Forces Tribunal, Ministry of Defence, namely:-

- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Armed Forces Tribunal (Group-B Gazetted and non-Gazetted posts) Recruitment Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

होगी

2. Number of posts, classification, level in the pay matrix. The number of the said posts, their classification, and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedules annexed to these rules.

- 3. Methods of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Scheduled.
- **4. Disqualification.** No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any other person, shall be eligible for appointment to the said posts:
 - Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **Saving.** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age-limits and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Assistant Registrar (Protocol)	01* (2018) *subject to variation depended on workload	General Central Service, Group 'B', Gazetted Non-Ministerial	Level 9 (Rs. 53100-167800)	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

			Circumstances in which U.P.S.C is to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
By Deputation (Including Short	Deputation (Including Short Term Contract)-	Not applicable	Not applicable

Term Contract).	Officers working under Central Government or State Government or Supreme Court or High Court or	
	Subordinate Courts or Statutory / Autonomous bodies having pensionary benefits:	
	(a) holding (i) analogous post on regular basis in parent cadre or department; or	
	(ii) post in level 8 of the pay matrix (Rs. 47600-151100) with two years regular service in the	
	grade, or	
	(iii) post in level 7 of the pay matrix (Rs. 44900-142400) with three years regular service in the	
	grade; and	
	(b) Essential : possessing the following educational qualifications and experience, namely	
	(i) degree of a recognized University or equivalent.; and	
	(ii) having 2 years experience in protocol related work.	
	Desirable: Degree in Law and having experience in protocol work	
	Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex cadre post held	
	immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central	
	government shall ordinarily not exceed three years and the maximum age-limit for deputationist shall not	
	be exceeding the age of 56 years on the last date of receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. Tribunal Officers/ Section Officers	48* (2018) *subject to variation depended		Level 7 (Rs. 44900-142400)	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
	on workload							

(10)	(11)	(12)	(13)
(i) 30% by Promotion , failing	(i) Promotion -	Group `B' Departmental	Not applicable
which by deputation		Promotion Committee (for	
(Including Short Term	and having successfully completed 2 weeks training in Administrative or Judicial or Financial	considering promotion)	
Contract), and	matters, from the institute to be prescribed by the Ministry.	consisting of: -	
	Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered	(i) Judicial / Administrative	
(ii) 70% by Deputation (Including	for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite	Member, Armed Forces	
Short Term Contract) /	qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two	Tribunal – Chairperson;	
absorption.	years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next		
	higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility	(ii) Principal Registrar (PB)	
	service.	AFT or Registrar AFT -	
		Member;	
	(ii) Deputation (Including Short Term Contract) / Absorption -		
	Persons working under Central Government or State Government or Supreme Court or High Court or	(iii). Under Secretary in charge	

Subordinate Courts or Statutory / Autonomous bodies having pensionary benefits .	of Armed Forces Tribunal in
(a) Holding	the Ministry of Defence-
(i) analogous post on regular basis in parent cadre or department; or	Member.
(ii) post in the level 5 of the pay matrix (Rs. 29200-92300) with five years regular service in the	
grade, and	
(b) possessing the following educational qualifications and experience:	
(i) Degree of a recognized University; and	
(ii) Having 2 years experience in personnel, administrative or judicial work.	
Desirable: Degree in Law	
Note 1: The departmental officer in the feeder grade who are in the direct line of promotion shall not	
be eligible for consideration for appointment on deputation.	
Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex cadre post held	
immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the	
Central government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for deputationist	
shall not be exceeding the age of 56 years on the last date of receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3. Assistant	31* (2018) *subject to variation depended on workload	General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted Ministerial	(4) Level 6 (Rs. 35400-112400)	Selection	` '	Bachelor's Degree from a recognised University	. ,	Two years for promotees and Direct Recruitment	(10) (1) 80 per cent by promotion failing which by Deputation (Including Short Term Contract) / absorption (2) 20 per cent by Direct Recruitment.
					date for age-limit shall be as advertised by SSC.				

(11)	(12)	(13)
Promotion from amongst the Upper Division Clerks in level 4 in pay matrix (25500-81100) who have rendered not	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for	Not applicable
less than 10 years regular service in the grade and having successfully completed 2 weeks training in Administrative or	considering promotion) consisting of: -	
Judicial or Financial matters from the institute to be prescribed by the Ministry.	(i) Judicial / Administrative Member, Armed Forces	
Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion,	Tribunal - Chairperson;	
their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by	(ii) Principal Registrar (PB) AFT/ Registrar AFT-	
more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed	Member;	
probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such	(iii) Under Secretary in charge of Armed Forces	
qualifying or eligibility service.	Tribunal in the Ministry of Defence- Member.	

Deputation (Including Short Term Contract): Officials working under Central Government or State Government or Supreme Court or High Court or Subordinate Courts or Statutory / Autonomous bodies having pensionary benefits

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or department; or
 - (ii) Upper Division Clerks in level 4 of the pay matrix (Rs. 25500-81100) with **10 years** regular service in the grade in Central Government or State Government or Supreme Court or High Court or Subordinate Courts.
- (b). (i) Possessing Degree from recognised University; and
 - (ii) having 2 years' experience in establishment, administration or Accounts.

Note: The period of deputation including the period of Deputation (Including Short Term Contract) in another ex cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for deputationist shall not be exceeding the age of 56 years on the last date of receipt of applications.

- Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: -:
- (i) Judicial / Administrative Member, Armed Forces Tribunal Chairperson;
- (ii) Principal Registrar (PB) AFT/ Registrar AFT-Member;
- (iii) Under Secretary in charge of Armed Forces Tribunal in the Ministry of Defence- **Member**.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.	12*	General	Level 7	Selection	Not	Not	Not	Not applicable.	By Promotion , failing which by Deputation
Private	(2018)	Central	(Rs. 44900-142400)		applicable	applicable	applicable.		(Including Short Term Contract)/
Secretary	*Subject	Service,							absorption
	to	Group 'B',							absorption
	variation	Gazetted,							
	dependent	Ministerial.							
	on								
	workload								

(11)	(12)	(13)

Not applicable

Promotion:

Stenographers / Tribunal Masters in the Armed Forces Tribunal who have rendered five years regular service in the level 6 of the pay matrix (35400-112400) and having successfully completed 2 weeks training in administrative / secretarial matters from the institute to be prescribed by the Ministry.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (Including Short Term Contract)/Absorption: Stenographer in Central Government or State Government or Supreme Court of High Court or Subordinate Courts or **Statutory / Autonomous bodies having pensionary benefits**, holding

- (i) analogous posts on regular basis in parent cadre or department; or
- (ii) a post in the level 6 of the pay matrix (35400-112400) with five years regular service in the grade.

Note 1: The departmental officer in the feeder grade who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex cadre post held immediately preceding the appointment in the same or some other organisation or Department of the Central government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.

Group	`B'	Departmenta			
Promotio	on Co	ommittee	(for		
consider	ing	promo	tion)		
consistir	ıg of: -				

(i) Judicial/Administrative Member, Armed Forces Tribunal- Chairperson;

or	AFT or Re	pal Registrar (PB) gistrar AFT to be by Chairperson, mber;
or ly	charge of	der Secretary in Armed Forces the Ministry of Iember.
<u>'</u>	(9)	(10)
VO Ome	years for	Promotion, failing which by deputation (Including Short Term Contract)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.	31*	General	Level 6		Not	Not	Not applicable	Two years for	Promotion, failing which by deputation
Tribunal	(2018)* Subject	Central	(Rs. 35400-	Selection	applicable	applicable		promotees	(Including Short Term Contract) /
Master	to variation	Services,	112400)						absorption
(Stenographer	dependent on	Group 'B',							
Grade 'I')	work load	Non-							
		Gazette							
		Ministerial							

(11)	(12)	(13)
Promotion : Stenographers Grade 'II' in the Armed Force Tribunal who have rendered not less than 10 years regular service in level 4 in the pay matrix (25500-81100) and having successfully completed 2 weeks training in administrative / secretarial matters from the institution to be prescribed by the Ministry.	Group `B` Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: -	Not applicable.
Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	(i) Judicial / Administrative Member, Armed Forces Tribunal – Chairperson ; (ii) Principal Registrar (PB) AFT or Registrar AFT to be nominated by	
Deputation (Including Short Term Contract): Stenographers of the Central Government or Armed Forces or State Government or Supreme Court or High Court or District Courts or Statutory / Autonomous bodies having pensionary benefits holding (i) the analogous post on regular basis in parent cadre or department; or (ii) post in the level 4 of the pay matrix (Rs. 25500-81100) with 10 years regular service in the grade.	Chairperson, AFT - Member ; (iii) Under Secretary in charge of Armed Forces Tribunal in the Ministry of	
Note 1: The departmental officer in the feeder grade who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on Deputation (Including Short Term Contract)	Defence- Member.	
Note 2: The period of deputation including the period of Deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or some other organisation or Department of the Armed Forces Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for recruitment by Deputation (Including Short Term Contract) / absorption shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.		

[F. No. 4(1)/2010-D(AFTC)] M SUBBARAYAN, Jt. Secy.



No.4(1)/2010-D(AFTC) Government of India Ministry of Defence

> Room No.308-A, B-Wing, Sena Bhawan, New Delhi Date-²⁾ August,2019

CORRIGENDUM

Subject: Correction/Amendment in the Armed Forces Tribunal (Group-A Posts) Recruitment Rules, 2018.

In partial modification of this Ministry's Notification of S.R.O. No.04(E) dated 23.04.2018, the Column No. 4 of Serial No.7 of Schedule of the Armed Forces Tribunal (Group-A posts) Recruitment Rules,2018, may be read as "Level-11 (Rs.67700-208700)" instead of "Level-11 (Rs.67100-208700)".

2. This issues with the approval of competent authority.

18 Puck

(Poornima Rajendran)
Deputy Secretary to the Government of India
23011593

- 1. Principal Registrar (I/C), AFT(PB)
- 2. JS(Pers), Deptt. of Expenditure, New Delhi
- 3. SO to Defence Secretary
- 4. Financial Advisor(Defence)
- 5. PPS to JS(E), MoD
- 6. D(Coord)/MoD

9746

07

27/7/19